

निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़
प्रकरण संख्या 58/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

रोहताश निवासी ग्राम – नांगल पोस्ट मण्डी अटेली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

बनाम

अपीलार्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय

दिनांक 29.10.2024

सक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।

1. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
2. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2024/1837 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा अवगत कराया अपीलार्थी के दिनांक 26.06.2024 के आवेदन पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी नीमराना व एल आर शाखा कलेक्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़ को नियत समय में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जरिये पत्र क्रमांक 1072-73 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा लिखा जाकर प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 1074 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा सूचित किया गया। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उत्तर की एक प्रति प्रार्थी को भिजवाये जाने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
4. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है, प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गई है या नहीं इसका पत्रावली में कोई रिकार्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से प्रत्यर्थी (राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़) को नियमानुसार वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपी 15 दिवस में दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. निर्णय की प्रति हस्व कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फौसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर),
कोटपूतली-बहरोड़
कोटपूतली बहरोड़